

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त २५ शाखाएं कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही चलाव जाते हैं। वे किसी अन्य एकाधिकारी के नाम से।
सर्वप्रथम विषय पर यदि पूर्ण में परीक्षा कायम हुआ तो ही परीक्षा कायम एवं विद्यालय कायम किया जाए (विद्यार्थी सुविधा से)।



ग्राम : कूलीखर्द
दूरभाष : 0291-(0781) 2447801
फ़ैक्स : 2442662 (विद्यालय)
फ़ैक्स : (0291-0781-2341748)
E-mail :
juncg_gw@rediffmail.com
Website :
http://www.jyotiba.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 5594

दिनांक : 13/12/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत वर्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07 अगस्त, 2012 को पर प्रक्रमांक (16) के निर्णयानुसार सी.पी.एस. महाविद्यालय जाम बड़ागांव, जिला-गुरैना को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित की.वर्ग (राष्ट्रीय अन्वयार्थ विषय) की एस.सी. (आ.पा., रसायनशास्त्र, शैतिकी, गणित, वनस्पतिशास्त्र, जन्तुविज्ञान), जी.ए. (आ.पा., हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल मुद्राविज्ञान), पाठ्यक्रम के लिये अत्याई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय जो 28(17) में कुछ नियुक्तियां कर ली हैं प्राचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।
2. वर्तमान स्थिति में उच्च शिक्षा सुविधाओं का पूर्ण अभाव है महाविद्यालय को सही योग्यताधारी पुराकालाध्यक्ष और उच्च शिक्षा अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता है।
3. 28(17) की शेष नियुक्तियां विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित राजबांधि में कर ली जानी चाहिए।
4. सभी शिक्षकों, उच्चशिक्षियों को वेतन वर भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए।
5. पुराकालय में जी.ए. पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें उपयुक्त हैं ही नहीं लीट संशोधन को ध्यान में रखते हुए रु. 1,00,000/- मूल्य की (सभी विषयों को मिलाकर) पुस्तकें खरीदी जानी चाहिए।
6. विज्ञान प्रयोगशालाओं में कम से कम 50,000/- रु. मूल्य के उपकरण व वैज्ञानिकता खरीदे जाने चाहिए।
7. साफ वेतन, शैचालय एवं छात्राओं के लिए अलग कॉन्वेल रुम की समुचित व्यवस्था लेनी चाहिए।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, सी.पी.एस. महाविद्यालय जाम बड़ागांव, जिला-गुरैना
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, अंतर्पुरा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-दंडेल संशोधन, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. उपरीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)